Volume-2, No. II, Aug-2015, pp. 93-96

भारतीय समाज एवं महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान

श्री त्रिसुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चरखारी (महोबा) उ०प्र० भारत।

सार संक्षेप

भारतीय साहित्य में नारियों का वर्णन दैवी के रूप में किया गया है। उन्हें शक्ति, धन, ऐश्वर्य, मर्यादा, धैर्य का प्रतीक माना गया है। नारी अर्थात् महिला शब्द का अर्थ महनीय स्वरूपा अर्थात् सम्मानीय है। देवताओं, महापुरूषों को जन्म देने वाली महिला ही है। अर्धागिनी शब्द का अर्थ है कि बिना नारी के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात् नारी के बिना पुरूष का अस्तित्व नहीं है। प्रकृति ने महिला को माँ का रूप प्रदान किया है। क्योंकि नारी पुरूषों की तुलना में अधिक संवेदनशील, धैर्यवान, कर्त्तव्यनिष्ठ, आशावादी, मर्यादावादी होती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं का अपना गौरवपूर्ण स्थान रहा है। आज कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसे महिलायें हासिल नहीं कर रही है। आज महिलायें अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक हो रही हैं। लेकिन समाज में अभी कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाओं को और आगे आने की जरूरत है ताकि कोई महिला घरेलू हिंसा, यौन अत्याचार, बलात्कार, दहेज प्रथा जैसी बीमारियों का शिकार न हो। बालिक महिलायें सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में गौरवपूर्ण स्थान हासिल कर सकें तथा भारतीय समाज को एक नयी दिशा और दशा दे सकें। इसके लिए दृढ़ संकल्पना, एकाग्रता, आत्म चिन्तन और कुछ कर गुजरने की ललक महिलाओं के अन्दर होनी जरूरी है। ताकि वो अपना और समाज का विकास कर सकें। आज महिलाओं को सशक्तीकरण करने के लिए सबसे पहली जरूरत उन्हें आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में आगे लाना है तथा उनके अन्दर आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाना है। जिससे वो अपने अन्दर छिपी प्रतिभा को पहचान सकें।

मुख्य शब्दः महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता, 73 वां संविधान संशोधन, रेडिकल नारीवाद, अशोक मेहता समिति, भारतीय संविधान अनुच्छेद–14

भारतीय समाज प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं का ऋणी रहा है। प्राचीन काल में भी महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्रदान थी। महिलायें न केवल सामाजिक कार्यों में बल्कि राजनैतिक, धार्मिक कार्यों में भी अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। महिलाओं ने ही सामाजिक की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सुनिश्चित की है। प्राचीन काल में महिलाओं को पुरूष की अर्धांगनि कह कर पुकारा गया है। उन्हें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। हमारे धार्मिक ग्रन्थों में वेदों में नारी को शक्ति के रूप मे पुकारा गया है। माँ लक्ष्मी को धन के रूप सरस्वती माँ को ज्ञान के रूप में दुर्गा माँ को शक्ति के रूप में तथा काली माँ को शत्रु का विनाश करने के रूप में पुकारा गया है। लेकिन जो समाज महिलाओं का सम्मान करता था समय के साथ–साथ उसमें दोष उत्पन्न हो गये और नारी न केवल चार दिवारी के अन्दर सीमित हो गयी, बल्कि उसके सामाजिक, राजनैतिक अधिकार भी छिन गये। आज भारतीय पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं का अनुपात कुल जनसंख्या का लगभग आधा है। अतः आज वैश्वीकरण के युग में महिलाओं की जागरूकता में भी अमूतपूर्व परिवर्तन आया है और महिलाओं को उनका खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त होना शुरू हो गया है। इस परिवर्तन से पहले जहाँ महिलाओं का कार्य घर के अन्दर तक सीमित माना जाता था और परिवर्तन के युग में भारतीय महिलायें आज सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्र में सशक्त हो रही हैं और इस परिवर्तन ने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है। आज महिलाओं का राजनैतिक, एवं शैक्षिक क्षेत्र में योगदान अतुलनीय है और आज पुरूष वर्ग ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया है कि भारतीय महिलायें पुरूषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज महिलाओं के लिए सरकारों ने विभिन्न तरह की योजनायें तथा उन्हें आगे लाने के लिए उनके विकास का समुचित प्रबन्ध किया है। महिला सशक्तिकरण चैरोबी 1985 की पहल के अनुसार महिला सशक्तिकरण से अभिप्रायः महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता एवं उनकी स्थिति में बदलाव से है। यहां बदलाव से तात्पर्य उन सब ढांचों में बदलाव से है जो महिलाओं को द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। वर्तमान में जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं, उन्होंने न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया है।

इन कानूनों के द्वारा ही आज समाज से पर्दाप्रथा, बाल–विवाह, सती–प्रथा जैसी प्रथाओं का अन्त हो चुका है या अन्त होने के कगार पर है। दहेज–प्रथा जैसे कुरीतियों का भी समाज से धीरे–धीरे अन्त होना शुरू हो जायेगा। आज महिलाओं में न केवल सामाजिक जागरूकता बल्कि राजनैतिक जागरूकता का भी फैलाव हुआ है। आज महिलाओं के समर्थन में बने कानूनों से दो बातों को बल मिला है। समानता का अधिकार एवं भेदभाव की समाप्ति का अधिकार, सामाजिक समानता से अर्थ है कि समाज में स्त्री एवं पुरूष सभी समान है। महिलायें भी अन्य पुरूषों की तरह बराबर हैं तथा सामाजिक भेदभाव से आशय स्त्री एवं पुरूषों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जायेगा। भेद–विभेद की समाप्ति से तात्पर्य पुरूष एवं महिला जगत में शारीरिक व प्राकृतिक भेद से है। पुरूष एवं महिला के बीच शारीरिक एवं प्राकृतिक अन्तर उनके रंग–रूप, आकार–प्रकार से है। प्राकृतिक भिन्नता के बावजूद महिला पुरूष से कमजोर है, यह धारणा गलत है। भारतीय ग्रन्थों के अनुसार और ऋषि–मुनियों के अनुसार शारीरिक बल के ऊपर नैतिक बल और पुरूष का मातृपद पाकर महिला पुरूषों से बहुत श्रेष्ठ है। गर्भपात के मामलों में से शिशु–बालिकाओं के मुकाबले 260 शिशु–बालक गिरते हैं। इसका अर्थ है कि लड़कियां गर्भपात से ही अधिक मजबूत होती हैं और प्रकृति ने भी लड़कियों को कैंसर, दिल की बीमारी में ज्यादा स्थायी बनाया है। ये बीमारियां भी लड़कियों को कम होती हैं। हमारे इतिहास में राक्षसों का वध करने वाली देवियां महारानी लक्ष्मी बाई, रानी दुर्गावती, रानी चैन्नमा, अपाला गार्गी, मैत्री आदि अनेक नारीयां रही हैं, जिन्होंने न केवल समाज को साहस दिया बल्कि उसे एक आधुनिक दिश भी दी। महिलाओं को फिर अपनी खोई हुई पहचान को दोबारा से पहचानना होगा, तो उसे फिर से अपने खोये हुए गौरव को प्राप्त करना होगा। महिलाएं मानव जाति से अलग नहीं है, समाज से अलग नहीं है, देश से अलग नहीं है। इसे देश–काल के सन्दर्भ में और स्थानीय परम्पराओं के साथ जोड़ कर देखना–समझना चाहिए। किसी देश की संस्कृति के आधार से भी इस विकास को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय महिलाओं को समाज उनकी प्रगति का एक आधार भी तैयार कर सकता है। आज महिलाओं की लड़ाई अपनी मुक्ति के लिए नहीं पूरे समाज के वातावरण में सुधार लाने के लिए होनी चाहिए।

नारी सशक्तिकरण से निहितार्थ सत्ता एवं शासन के बीच नारियों के सबलीकरण से है। जिसके तहत राजनीति में उनकी सहभागिता, निर्वाचन की राजनीति के माध्यम से एवं लोकजीवन के माध्यम से है।

सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए येनिसा ग्रिफ्रेन ने पैसेफिक कार्यशाला के दौरान कहा– सशक्तिकरण से मेरा तात्पर्य सामान्य अर्थों में स्त्री का शक्ति के साथ जुड़ाव होना है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के द्वारा पारित 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण है, जिसने नारी सशक्तिकरण को संवैधानिक दर्जा देते हुए एक प्रभावशाली समर्थकारी एवं परिवर्तनकारी भूमिका को प्रतिष्ठित किया है।

मुख्य रूप से आधुनिक समय नारीवादी सिद्धान्तकारों में केट मिलेट, मैरी डेली, शुलामिथ फायरस्टोर एन्डिया डवोरकिन और मेरिलियन फ्रै आदि प्रमुख हैं। इन्होंने रेडिकल नारीवादी सिद्धान्तों की वकालत की है। रेडिकल नारीवादी सिद्धान्तकार वो है, जिन्होंने नारीयों के अधिकारों के लिए वकालत की तथा परम्परागत प्रथाओं का विरोध किया तथा नारीयों को उनका खोया हुआ स्थान तथा गौरव प्रदान किया। रेडिकल नारीवाद से सम्बन्धित तीन पुस्तक जिनमें 'सीमोन द बोउबार की पुस्तक', 'हह सैकेण्ड सेक्स' इसमें उन्होंने बताया कि कोई नारी जन्म नहीं लेती बल्कि उसे बनाया जाता है। आज नारी प्रगति की दिशा में अनेक कार्य हो रहे हैं। सरकार भी नारीयों के लिए अच्छी–अच्छी योजनाओं का निर्माण कर रही है। महिलायें न केवल राजनीति में अपनी जगह बना रही हैं बल्कि शैक्षिक क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। लोकतन्त्र के निचले स्तर (पंचायत व्यवस्था) पर महिलाओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति एवं 1977 में अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन में किया गया है, जिसके अन्तर्गत पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं को लोकतन्त्र में स्थान देने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जिन योजनाओं में निराश्रित महिलाओं को सहायता अनुदान तथा विधवाओं को पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता तथा कानूनी सहायता तथा भारत सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक कानूनी नियमों का निर्माण किया है। जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) हत्तक ग्रहण अधिनियम (1956) अनैतिक दैह व्यापार (निरोधक) अधिनियम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम (1958) बन्दी मुक्त परीवीक्षा अधिनियम महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध आदि कानूनी प्रावधान किये हैं। जिससे महिलायें घरेलू हिंसा का शिकार न हों तथा अपना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकें तथा समाज को भी एक आर्थिक देन दे सकें।

महिलाओं के विकास के लिए शैक्षिक विकास के लिए महिला समाख्या योजना (1989) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988) बालिका संरक्षण योजना (1996) बालिका समृद्धि योजना (1997) कस्तूरबा गाँधी योजना (1997) माँ–बेटी सम्मेलन योजना (2002) साधिन योजना नारी अध्ययन केन्द्र तथा सेल, अनुसंधान एसोसिएट, स्वास्थ्य सखी

योजना, कामधेनू योजना, कन्या विधा धन योजना, जननी सुरक्षा योजना मेटर निटी लिव, चाइलड केयर लिब, महिला कल्याण व बाल विकास योजना ग्रेपः प्रशिक्षण और रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम 1987 स्वयं सिद्धा : इंदिरा गाँधी योजना से सभी योजनायें महिलाओं के लिये चलाई गयी हैं। ताकि महिलायें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में सशक्त तथा समर्थ बन सकें। अपना राजनैतिक एवं सामाजिक विकास कर सकें। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये हैं–

1. समान वेतन अधिनियम (1979) इसके द्वारा महिला–पुरूष को समान कार्य के लिये समान वेतन की व्यवस्था की गयी।
2. मातृत्व हित अधिनियम (1961) एवं (1976) में बनाये रखें।
3. पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिये प्रशिक्षण केन्द्र यह योजना (1977 ई०) में 18 से 20 वर्ष आयु की गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य की गयी।
4. नारी–प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम में सभ्यता (1986–87) के दौरान सभी राज्यों में महिलाओं का विकास निगम के गठन योजना बनायी गयी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
5. महिला शिक्षा–सामाजिक–आर्थिक गति को तेज करने में महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुये सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाये हैं। महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाये गये।
6. प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा (1958) में महिलाओं के लिए रोजगार, दवाईयां, परिवार नियोजन पाठ्यक्रम व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किये जायेंगे।
7. राष्ट्रीय महिला आयोग– 31 जनवरी, 1992 को इसकी स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनकी उन्नति की सुरक्षा करना है।
8. राष्ट्रीय महिला कोष इसका गठन 30 मार्च 1993 को किया गया। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

आधुनिक युग में महिलाओं को अपने बौद्धिक विकास करना होगा। अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी और अपने आपको राष्ट्रीय सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए तैयार भी करना होगा। यह सब कार्य उन्हें किसी होड़, प्रतिद्वंद्विता या नारे बाजी से नहीं बल्कि वैचारिक शक्ति के द्वारा तथा सभी को विश्वास में लेकर करना होगा तभी महिलाओं में अपनी और समाज की दशा और दिशा दोनों में बदलाव ला सकती है। महिला सशक्तिकरण से आशय उन सामान्य अर्थों से लगाया जाता है जो अपनी क्षमताओं तथा शक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग अभी हाल ही में सरकारी तन्त्र में शुरू हुआ है। आज महिलायें अपनी शक्यिों को अपने आप पहचान ले तथा उसका वास्तविक रूप में प्रयोग कर सकें। यही सबलता और सुभोग्यता महिला सशक्तिकरण की असली पहचान है। पिछले अनेक वर्षों में महिलाओं में शिक्षा, ग्रामीण, विकास, शराबबन्दी, जलसंचारण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किये हैं।

भारतीय समाज में आप भी अनेक कारक हैं जो महिलाओं का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विकास में बाधक बन जाते हैं। इसमें निर्धनता सामाजिक विषमता वर्ग भेद आर्थिक विषमता रूढ़िवादिता अशिक्षा बेरोजगारी महिलाओं के विरूद्ध शारीरिक व मानसिक हिंसा बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या, दहेज हत्या बाल विवाह वेश्यावृत्ति, महिलाओं की हनन और पर्यावरण का दुष्प्रभाव, लैंगिक अनुपात में महिलाओं की घटती संख्या ये सभी कारक वो कारक हैं जो महिला की प्रगति को रोकती हैं।

महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु स्वतंत्र भारत के संविधान में भी स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में राज्य के अन्दर निवास करने वाले चाहें वो स्त्री हो या पुरूष सभी को कानून की नजर में बराबर माना जायेगा। राज्य सभी नागरिकों को कानून की नजर में बराबरी का अधिकार देगा। राज्य में समान विधियों से किसी को भी वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।

अनुच्छेद 15(3) इस अनुच्छेद में किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपलब्धि बनाने में बाधा नहीं होगी।

अनुच्छेद 16(2) राज्य किसी भी स्त्री पुरूष में धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्मस्थान निवास इनमें किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 17 में अश्पृश्यता का अन्त शामिल है। अर्थात् मन्दिर, मस्जिद सभी के लिए बराबर होंगे। समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा।

अनुच्छेद 19(1) में सभी नागरिकों को भाषण तथा अभिव्यक्ति की गारन्टी देता है। इसमें सभी नागरिक अपने विचारों को बिना किसी बाधा के अभिव्यक्त कर सकते हैं। कहीं भी निवास कर सकते हैं। सम्पत्ति की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। कहीं भी आ या जा

सकते हैं। ये सभी अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं किसी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में जो संविधान के भाग तीन में दिये गये हैं। प्रावधानों के अनुसार महिला एवं पुरूष दोनों के अधिकारों पर बल दिया गया है। संविधान के मूल कर्त्तव्यों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य किसी भी स्त्री एवं पुरूष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करायेगा। पुरूष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा।

पुरूष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का बालकों की सुकुमार उपवस्था का दुरूपयोग न हो इस प्रकार के प्रभाव करेगा।

अनुच्छेद 42 में राज्य महिलाओं को प्रसूति के समय विशेष आर्थिक सहायता देगा तथा उनके लिए उचित व्यवस्था करेगा।

भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ अधिनियम बनाये हैं–

1. अनैतिक व्यापार अधिनियम– 1956 महिलाओं से अनैतिक कार्य और बलपूर्वक देह व्यापार नहीं करवाया जायेगा। वैश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम– 1961 इस अधिनियम द्वारा दहेज लेना या देना दोनों कानून के विरूद्ध है। 1986 में इसमें संशोधन अधिनियम पारित किया गया।
3. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम–1961 कामकाजी महिलाओं को प्रसूति के समय सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें स्वास्थ्य सुविधायं उपलब्ध कराना।
4. स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम– 1986 इसमें स्त्रीयों के अश्लील विज्ञापन पर रोक शामिल है तथा महिला अपराधी को भी विशेष छूट शामिल है।

इन समान परिश्रमिक कानून–1976 कामगार महिलाओं को आर्थिक समानता का अधिकार प्राप्त है। श्रम के पारितोषिक में किसी भी प्रकार का भेदभाव कानून की नजर में अपराध है। इसके अतिरिक्त निवारण अधिनियम 1986 प्रसव निदान अधिनियम 1994 विवाह कानून अधिनियम–1976 विशेष विवाह अधिनियम 1954 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम– 2005 शामिल है। इसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा जिसमें अत्याचार, सामाजिक भेदभाव, मान–सम्मान आदि हैं। इसमें स्त्रीयों को व्यापक अधिकार प्राप्त है। 73 वे 74 वे संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को नगर पालिका ग्राम सभा में एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये। इसके द्वारा महिलाओं को राजनैतिक सशक्तिकरण करने के प्रयास किये गये हैं। महिलाओं को उनकी प्रगति करने के लिए उनका समुचित विकास करने के संविधान में समूचित व्यवस्था की गयी है।

निष्कर्षः–

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि महिलाओं को आगे लाने के लिए उनका जागरूक होना अति आवश्यक है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि ग्रामीण महिलायें ही नहीं बल्कि शहरी महिलायें भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है। या उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। आज महिलाओं में संवैधानिक प्रावधानों एवं विधिक व्यवस्थाओं प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। आज महिलाओं के लिए सेमिनार तथा गाँवों में जागरूकता शिविर होने अति आवश्यक हैं और इस दिशा में गैर–सरकारी संस्थाओं को विशेष कार्य करने की जरूरत है। आज महिलाओं के लिए नये–नये कानून बनाने की आवश्यकता है। जिससे वो अपना सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विकास कर सकें तथा समाज को एक नयी दिशा प्रदान कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–99)
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953–54)
3. राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति (1958)
4. हंसा मेहता समिति (1962)
5. भक्तवत्सलय् कमेटी रिपोट्र (1963)
6. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66)
7. राष्ट्रीय शिक्षा समिति (1970)
8. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978)
9. इग्न्यू (1985)
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
11. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992)
12. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1987)
13. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988)
14. महिला ससाख्या योजना (1989)